मुकदमा नम्बर 72/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
17.02.25	पत्रावली पेश। उभय पक्ष वकील उपस्थित। उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन किया, व बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण के संलग्न तहसीलदार सांचौर के आदेश क्रमांक भू.अ./प्र.ग्रा.स./2001/2081-82 दिनांक 08/01/2002 का अवलोकन किया। जिसमें उक्त वाद, विवादित आराजी ख.न. 396 प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता ओखाराम के बंट में बंटवाड़ा किया गया, जो प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान सहमति से बंटवाड़ा किया गया है। वादी कब्जे के आधार पर खसरा परिवर्तन करवाना चाहता है। जिस हेतु वादी तहसीलदार सांचौर के द्वारा किया गया बंटवाड़ा की सक्षम न्यायालय में अपील कर अनुतोष प्राप्त कर [illegible] है। अत: वादी का वाद [illegible] खारिज किया जाता है। [illegible] दाखिल [illegible] शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर)	

महाराज[illegible] सांचौर
उपखण्ड [illegible], सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner